

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00998

दिनांक 16.10.2018

सेवा में,

श्री सरदार सतनाम सिंह,

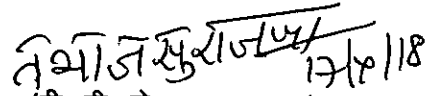
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 05.10.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 10.10.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.10.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7	आपके द्वारा मांगी गई सूचना उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग से संबंधित है । इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय या राज्य सूचना आयोग केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं । अतः राज्य सरकार या राज्य सूचना आयोग से संबंधित पत्रों/आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अथवा उन कार्यालयों/विभागों से संबंधित सूचना प्रदान करना अपेक्षित नहीं है ।
----------------------------------	---

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।


(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690